न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी सांवर मल वर्मा आई0ए0एस0)

अपील संख्या :– 73/2019 (धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956) (RCMS No.2019/00079)

मंदिर मूर्ति श्री गोपाल जी महाराज वाकै कदमखण्डी जरिये पुजारी उपेन्द्रनाथ शर्मा पुत्र श्री मदन मोहन शर्मा निवासी मानसिंह सर्किल के पास भरतपुर तहसील व जिला भरतपुर।

.....अपीलान्ट

बनाम

1. उपखण्डाधिकारी भरतपुर।
2. मूर्ति मंदिर श्री रघुनाथ जी महाराज जरिये प्रबन्धक रामगोपाल पुत्र नारायण स्वरूप जाति ब्राहमण निवासी नदिया मौहल्ला भरतपुर हाल निवासी– मंदिर रघुनाथ जी ,

..... रैस्पोडेन्टस

अपील अंतर्गत धारा 75 एल आर एक्ट विरूद्ध आदेश उपखण्डाधिकारी भरतपुर दिनांक 30.8.2016

उपस्थितिः–

1. श्री हरीशंकर शर्मा वकील अपीलान्ट।
2. राजकीय अधिवक्ता।
3. गोपाल शर्मा वकील रैस्पोडेन्ट–2

निर्णय

दिनांकः– 27.09.2022

उक्त अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 उपखण्डाधिकारी भरतपुर के निर्णय दिनांक 30.8.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि रैस्पोडेन्ट संख्या–2 के द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 एल आर एक्ट इस आशय का तहत अदालत के समक्ष पेश किया कि हाल खसरा नम्बर 1570/0.07, 1587/0.10, 1588/0.04, 1589/0.05, 1590/0.09, किता–5 रकबा 0.35 है0 स्थित भरतपुर चक नं0 3 जो गत ख0नं0 2419 रकबा 0.04 विस्बा, ख0नं0 2417 रकबा 1 बीघा 04 विस्बा , ख0नं0 2414 रकबा 1 बीघा से बने है। मंदिर मूर्ति श्री रघुनाथ जी महाराज की खातेदारी की आराजी है परन्तु लिपिकीय भूल से इस पर मंदिर श्री गोपाल जी महाराज अंकित राजस्व अभिलेख में हो गया है। इसकी दुरूस्ती के आदेश भी मिसिल संख्या 643/84 दिनांक 29.6.84 से मंदिर मूर्ति श्री रघुनाथ जी महाराज के नाम हो गये थे जिसका अमल दरामद भी खसरा पत्रक बन्दोबस्ती के कॉलम संख्या 24 में दर्ज हो गया । परन्तु जमाबन्दी में लिपिकीय भूल से इन्द्राज नहीं हो पाये। अतः हाल ख0नं0 1570/0.07, 1587/0.10, 1588/0.04, 1589/0.05, 1590/0.09, किता–5 रकबा 0.35 है0 स्थित भरतपुर चक नं0 3 पर मूर्ति मंदिर गोपाल जी महाराज के स्थान पर मूर्ति मंदिर श्री रघुनाथ जी महाराज दुरूस्त किया जावे। तहत अदालत द्वारा बाद कार्यवाही अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.8.2016 पारित करते हुये रैस्पोडेन्ट संख्या–2 का प्रार्थना पत्र स्वीकार

27.9.2022
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

किया जाकर हाल खसरा नम्बर 1570/0.07, 1587/0.10, 1588/0.04, 1589/0.05, 1590/0.09, किता–5 रकबा 0.35 है0 स्थित भरतपुर चक नं0 3 पर मंदिर श्री गोपालजी महाराज वाकै कदमखण्डी भरतपुर खातेदार के स्थान पर मंदिर मूर्ति श्री रघुनाथ जी महाराज वाकै कदमखण्डी भरतपुर खातेदार की पृविष्ठी किये जाने के आदेश पारित किये गये। इस आदेश के विरूद्ध उक्त अपील पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत पत्रावली तलब की गई। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

वकील अपीलान्ट ने मीमो ऑफ अपील व उनकी ओर से प्रस्तुत लिखित बहस में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए तर्क दिया कि अदालत मातहत का आदेश विधि विरूद्ध व तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है क्योकि विवादित खसरा नम्बरान पर अपीलान्ट व उसके पूर्वजों का नाम राजस्व रिकार्ड में तथा मौके पर संवत् 2012 से पूर्व काबिज होकर मंदिर मूर्ति श्री गोपालजी महाराज की सेवा आज दिनांक तक करते आ रहे है। रैस्पो0 संख्या–2 का उक्त खसरा नम्बरान से कोई लेना देना नहीं है। अदालत मातहत ने अपीलान्ट को बिना सुने बिना तलब किये केवल रैस्पोडेन्ट को सुन कर प्रार्थना पत्र 136 एल आर एक्ट के अंतर्गत अपीलान्ट की खातेदारी को समाप्त कर दिया गया है, जो न्यायिक प्रावधानों के विपरीत है। क्योंकि खातेदारी अधिकार समाप्त करने से पूर्व संबंधित खातेदार को सुना जाना आवश्यक है परन्तु अदालत मातहत ने न तो अपीलान्ट को इस मुकदमें में पक्षकार बनाया गया और न ही तहसीलदार भूमिधारी भरतपुर के जबाब को अपीलाधीन निर्णय में कन्सीडर किया है। यद्यपि अपीलाधीन आदेश में भूमिधारी की ओर से प्रस्तुत जबाब का जिक्र है परन्तु इस जबाब का अपीलाधीन निर्णय में कोई विवेचना नहीं की गई। इसलिए अपीलाधीन आदेश स्पीकिंग आर्डर की श्रेणी में नहीं आता है। वकील अपीलान्ट ने यह भी तर्क दिया कि अदालत मातहत में रैस्पोडेन्ट–2 के द्वारा राजस्व रिकार्ड की प्रमाणित प्रतियां पेश नहीं कर केवल छाया प्रति पेश की है, जो कानूनन किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में ग्राह्य नहीं है। इसके अलावा रैस्पों0 की ओर से प्रस्तुत फोटो प्रतियों में भी विवादित खसरा नम्बरों का कोई उल्लेख नहीं था। इसके बाबजूद विवादित खसरा नम्बरों से अपीलान्ट की खातेदारी समाप्त कर दी गई। अपीलाधीन आदेश में भूप्रबन्ध विभाग के जिस खसरा पत्रक सम्वत् 2037 का उल्लेख किया है वह दौराने सैटलमेन्ट का है यह कोई फाइनल दस्तावेज नहीं था उक्त खसरा पत्रक सम्वत् 2037 के ऊपर भूप्रबन्ध विभाग ने मौहर लगाई है कि – " .....भू प्रबन्ध प्रकियाऐं चालू है इसलिए नकल किसी भी न्यायालय में मान्य नहीं होगी।....." यानि नियमों के अंतर्गत उक्त खसरा पत्रक 2037 में अंकित इन्द्राज कानूनी रूप से अन्तिम नहीं थे न ही इन्हें किसी न्यायिक प्रकिया में ग्राहय योग्य माना जा सकता है। इस नोट के बाबजूद भी रैस्पो0 सं0 2 को फायदा पहुंचाने के लिये अपीलाधीन आदेश में इसे आधार बनाया गया है जो न्याय संगत नहीं है। अदालत मातहत में रैस्पो0 सं0 2 ने जो खसरा पत्रक 2037 पेश किया है उस खसरा पत्रक के उन खसरा नम्बरों पर मंदिर रघुनाथ जी का कोई उल्लेख नहीं है जिन खसरा नम्बरों पर से अपीलान्ट की खातेदारी समाप्त कर दी है यानि उस खसरा

संभागीय आयुक्त
संभाग, भरतपुर

पत्रक के कॉलम 24 पर मंदिर रघुनाथ जी का नोट लगा हुआ है वह गत खसरा नम्बरान 2411, 2412, 2413 (सिवायचक) सरकारी भूमि पर नोट का अंकन है। जबकि अपीलान्ट के गत खसरा नम्बर 2414, 2417, 2419 जिनके नये नम्बरान 1570, 1587, 1588, 1589, 1590 पर मंदिर रघुनाथ जी का कोई अंकन नहीं है। इन पर मंदिर गोपाल जी खातेदार दर्ज रिकार्ड है। रैस्पो0 2 द्वारा प्रार्थना पत्र 136 एल आर एक्ट में जिस दुरूस्ती आदेश मि0नं0 643/84 दिनांक 29.6.84 का हवाला दिया गया है न तो उस आदेश की प्रमाणित प्रति पेश की है न फोटोप्रति पेश की है जो आवश्यक थी। बावजूद इसके अदालत मातहत द्वारा बिना किसी आधार के अपीलाधीन आदेश पारित करने में भारी त्रुटी की है। 136 एल आर एक्ट की समरी कार्यवाही में खातेदारी अधिकार समाप्त नहीं किये जा सकते है। इसके लिय संबंधित को राजस्व न्यायालय में नियमित वाद प्रस्तुत करना आवश्यक है। इसके अलावा कृषकों के खातेदारी अधिकार एवं राजस्व प्रविष्टयां परिवर्तित करने का अधिकार भी सैटिलमेन्ट विभाग को नहीं है। इस तर्क के समर्थन में वकील अपीलान्ट द्वारा एस0बी0सी0डब्ल्यू0 पिटीशन नं0 1325/2000 दिनांक 11.07.2000 में उल्लेखित निर्णय का हवाला दिया। वकील अपीलान्ट ने यह भी तर्क दिया कि तहत न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश में तहसीलदार भरतपुर के निर्णय दिनांक 22.02.1980 व दिनांक 07.10.2005 का उल्लेख किया है, जबकि तहसीलदार भरतपुर के उक्त निर्णयों में अपीलान्ट मूर्ति मंदिर गोपाल जी महाराज के खसरा नम्बरान का कोई उल्लेख नहीं है। उपरोक्त दोनों आदेश सरकारी जमीन (सिवायचक) खसरा नमबर 2411, 2412, 2413 को नाजायज तरीके से रैस्पो0 2 द्वारा अतिकमण करने के प्रकरण से संबधित है।सैटिलमेन्ट विभाग द्वारा (फाईनल) अन्तिम खसरा पत्रक बनाते समय परिवर्तनशील खसरा पत्रक 2037 में दर्ज मि0नं0 643/84 दिनांक 29.06.1984 एवं उक्त खसरा पत्रक के कॉलम 24 में दर्ज नोट को मूलतः अमान्य एवं निरस्त करते हुये अपीलार्थी के खसरा नम्बरान 1578, 1587, 1588, 1589, 1590 पर मंदिर गोपाल जी दर्ज किया है। इस प्रकार सैटिलमेन्ट से कोई लिपिकीय भूल नहीं हुई है। विभाग ने बन्दोबस्त से पूर्व के राजस्व रिकार्ड एवं मौके पर कब्जे के आधार पर अन्तिम खसरा पत्रक एवं मिसिल बन्दोवस्त सम्वत 2043–62 को तैयार किया है जिसमें चक नं0 3 कस्बा भरतपुर के नये खसरा नम्बरान 1570, 1587, 1588, 1589, 1590 पद दर्ज मंदिर गोपाल जी महाराज वाकै कदमखण्डी भरतपुर खातेदार बदस्तूर रखा है। चूंकि अपीलाधीन आदेश अपीलान्ट को बिना पक्षकार बनाये पारित किया है इसलिए इसकी जानकारी अपीलान्ट को नहीं हुई थी। दिनांक 18.07.2019 को रैस्पो0 संख्या 2 के द्वारा धमकी दिये जाने पर वकील से सम्पर्क कर नकल हेतु दिनांक 19.07.2019 को आवेदन किया तो दिनांक 22.07.2019 को नकल प्राप्त हुई। नकल प्राप्त होने की दिनांक से अपील अन्दर मियाद पेश है। जिसके लिये पृथक से दफा–5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र पेश किया गया है।

इसके अलावा वकील अपीलान्ट ने यह भी तर्क दिया है कि स्वयं रैस्पो0 सं0 2 रामगोपाल द्वारा जरिये वकील श्री गोपाल शर्मा एवं प्रवीण कुमार शर्मा मय वकालतनामा प्रार्थना पत्र दिनांक 13.06.2022 न्यायालय हाजा में प्रस्तुत कर अपनी भूल स्वीकार करते

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

हुये यह निवेदन किया है कि ".....अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने में मुझ रैस्पोडेन्ट प्रबन्धक रामगोपाल मंदिर श्री रघुनाथ जी महाराज को कोई एतराज नहीं है यह कथन मेने राजस्व रिकार्ड का अवलोकन कर एवं स्वयं के संज्ञान से किया है।....."

अन्त में वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्डाधिकारी भरतपुर दिनांक 30.8.2016 निरस्त किया जावे तथा इसके आधार पर खोले गये नामान्तरकरण संख्या 1443 दिनांक 12.07.2017 को निरस्त किया जाकर तहसीलदार भरतपुर को हाल आराजी खसरा नम्बरान 1570/0.07, 1587/0.10, 1588/0.04, 1589/0.05, व 1590/0.09 चक नं0 3 करबा भरतपुर के राजस्व रिकार्ड को दिनांक 30.8.2016 से पूर्व की स्थिति में बहाल किये जाने के साथ मंदिर गोपालजी महाराज वाकै कदमखण्डी भरतपुर खातेदार दर्ज कराने के आदेश फरमाये जावे।

राजकीय अधिवक्ता द्वारा तहत अदालत उप जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.08.2016 की ताईद करते हुये कथन किया गया कि तहत अदालत द्वारा विधिवत कानूनी प्रकिया अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिसमें कतई किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। अपील अपीलान्ट खारिज की जावे तहत अदालत का अपीलाधीन आदेश यथावत रखा जावे।

रैस्पोडेन्ट संख्या–2 रामगोपाल की ओर से जरिये अधिवक्ता श्री गोपाल शर्मा द्वारा दिनांक 13.06.2022 को इस आशय का जबाब प्रस्तुत किया है कि राजस्व रिकार्ड व मौके पर आराजीगत खसरा नम्बर 2414, 2417, 2419 व इनसे बने नये खसरा नम्बर 1570, 1587, 1588, 1589 व 1590 पर शुरू से ही काबिज होकर मंदिर मूर्ति श्री गोपालजी महाराज के नाम खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज चले आ रहे हैं। इस खसरा नम्बर से मंदिर रघुनाथ जी महाराज का कोई दखल या लेना–देना नहीं है और न ही इस भूमि पर मंदिर मूर्ति रघुनाथ जी काबिज है। राजस्व रिकार्ड में उपरोक्त खसरा नम्बर पर खातेदारी रघुनाथ जी के नाम पर भी दर्ज नहीं है। उपखण्ड अधिकारी भरतपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.08.2016, जिसके द्वारा गत खसरा नम्बर 2419, 2417, 2414 से बने हाल खसरा नम्बर 1570, 1587, 1588, 1589 व 1590 पर मूर्ति श्री गोपाल जी महाराज कदमखंडी भरतपुर खातेदार के स्थान पर मूर्ति श्री रघुनाथ जी कदमखंडी भरतपुर खातेदार की प्रविष्टि का आदेश गलत है। अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील को स्वीकार किये जाने में कोई एतराज नहीं होना बताया गया है।

अपीलान्ट व रैस्पोडेन्ट के विद्वान अभिभाषकगण द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस व अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली का अवलोकन व मनन किया गया। अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30.08.2016 के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा अदालत हाजा में लगभग 3 वर्ष पश्चात दिनांक 31.07.2019 को अपील पेश की गई है तथा अपील पेश करने में हुए विलम्ब हो कंडोन किये जाने हेतु दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। इस आधार पर अदालत हाजा द्वारा अपील को मियाद संबंधी बिन्दु रिजर्व रखते हुए दर्ज किया गया। ऐसी स्थिति में अपील के गुणावगुण पर विचार करने से

21.9.22
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

पूर्व मियाद संबंधी बिन्दु पर निर्णय किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। अपीलान्ट की ओर से अपील को अन्दर मियाद माने जाने के संबंध में दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र मीमो आफ अपील के साथ पेश किया है। उक्त प्रार्थना पत्र के संबंध में रैस्पों0 संख्या–2 द्वारा अदालत हाजा में दिनांक 03.08.2021 को जबाब प्रस्तुत कर आपत्ति पेश की गई जिसमें अपीलान्ट के राजस्व कर्मचारी होने व अपीलाधीन निर्णय की जानकारी पूर्व से होने का उल्लेख करते हुए अपील को मियाद संबंधी बिन्दु पर खारिज किये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। इस आपत्ति को अदालत हाजा द्वारा निर्णय दिनांक 20.09.2021 के द्वारा खारिज कर दिया गया है। इस आदेश की रैस्पों0 द्वारा सक्षम न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत किये जाने का कोई रिकार्ड पत्रावली में नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट द्वारा दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र में वर्णित जानकारी की तिथि के आधार पर अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जाता है।

जहां तक अपील के गुणावगुण का प्रश्न है तो गुणावगुण के आधार पर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30.08.2016 उचित प्रतीत नहीं होता है क्योंकि अपीलाधीन निर्णय पारित कने से पूर्व विवादित भूमि के खातेदार जो कि अपीलान्ट है, को पक्षकार बनाया जाकर सुना जाना आवश्यक था परन्तु रैस्पों0 द्वारा न तो अपीलान्ट को अदालत मातहत में पक्षकार बनाया गया और न ही अदालत मातहत द्वारा विवादित भूमि के खातेदार अपीलान्ट को सुनवाई का कोई पर्याप्त व उचित अवसर दिया गया। प्रकरण में सरकारी पैरोकार की ओर से प्रस्तुत जबाब में वर्णित तथ्यों का भी कोई विवेचन अपीलाधीन निर्णय में नहीं किया जिसमें कि यह उल्लेख किया गया था कि विवादित खसरा नम्बर श्री गोपाल जी महाराज के नाम दर्ज है। पत्रावली में नकल दिनांक 29.06.84 की प्रति उपलब्ध नहीं कराई गई। खसरा पत्रक पर तत्संबंधी नोट अंकित है। इस आधार पर विवादित आराजी को मंदिर मूर्ति गोपाल जी के स्थान पर मंदिर मूर्ति श्री रघुनाथ जी महाराज के नाम पर दर्ज नहीं किया जा सकता है। इसके बाबजूद भी उक्त आपत्ति को दरकिनार कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जो कि न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। इसके अलावा रैस्पों0 संख्या–2 की ओर से जरिये अभिभाषक दिनांक 13.06.2022 को इस आशय का जबाब पेश किया गया है कि राजस्व रिकार्ड मौके पर खसरा नम्बर 2414, 2417, 2419 जिसके हाल खसरा नम्बर 1570, 1587, 1588, 1589, 1590 बने हैं, पर शुरू से काबिज होकर मंदिर मूर्ति श्री गोपाल जी महाराज का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज चला आ रहा है। इस खसरा नम्बर से मंदिर श्री रघुनाथ जी महाराज कदमखंडी भरतपुर का कोई दखल या लेना–देना नहीं है न ही इस पर मंदिर मूर्ति रघुनाथ जी का भी है। राजस्व रिकार्ड में उपरोक्त खसरा नम्बर पर मंदिर रघुनाथ जी के नाम खातेदारी दर्ज नहीं है। अदालत मातहत का आदेश दिनांक 30.08.16, जिसके द्वारा मूर्ति रघुनाथ जी कदमखंडी भरतपुर के नाम दर्ज किये जाने का जो आदेश दिया है, वह गलत है। उक्त भूमि गोपाल जी महाराज वाके कदमखंडी भरतपुर की खातेदारी में दर्ज है। इसलिए अपील स्वीकार किये जाने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। इस प्रकार रैस्पों0 की ओर से भी अपीलाधीन आदेश को गलत होना

27.5.22
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

स्वीकार किया गया है। इस आधार पर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30.08.2016 को उचित नहीं कहा जा सकता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30.08.2016 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर को इन निर्देशों के साथं प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर देते हुए रैस्पों0 की ओर से अदालत हाजा में प्रस्तुत जबाब दिनांक 13.06.2022 में वर्णित तथ्यों के आधार पर पुनः नये सिरे से आदेश पारित करें।

निर्णय आज लिखाया जाकर दिनांक 27.09.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सांवर मल वर्मा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर